>

Title: Need to provide alternative land to farmers living in border areas to ensure their livelihood.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):भारत पाकिस्तान सीमा पर फैंसिंग करने के बाद सीमा सुरक्षा बल या अन्य सशस्त्र एजेंसी जिसके जिम्मे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मा होता है, उनके द्वारा जिन किसानों की जमीन सीमा के नजदीक होती है उन्हें इच्छानुसार फसल बोने के लिए अनुमति नहीं होती है एवं खेत में काम करने के समय पर भी पाबंदी होती है। ऐसी स्थिति में किसान उस जमीन का नाम मात्र मालिक होता है। किसान पर इतने नियम व कानून कायदे सुरक्षा की दृष्टि से लागू कर दिये जाते हैं कि किसान उस भूमि पर वास्तविक उपज नहीं ले पाता है, फिर भी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस संबंध में कई बार लोक सभा में प्रकरण उठाया जा चुका है, लेकिन कोई सर्वमान्य हल नहीं निकलने के कारण अंतराष्ट्रीय सीमा के पास बसे हुए किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। किसानों की यह मांग है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सटी हुई भूमि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है तो उन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अधिगृहित कर ली जानी चाहिए और इसके बदले में किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए या सरकार द्वारा ही किसान को अन्यत्र किसान की आवश्यकतानुसार कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जिससे किसान कृषि का कार्य कर सके और अपने परिवार को पालने में सक्षम हो सके। अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय या जो भी संबंधित मंत्रालय हो उससे मैं मांग करता हूँ कि इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट हो, मुआवजा या अन्यत्र भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश शीघ्र जारी हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाला किसान सम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सके।